

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/स्थाईकरण/राजसमन्द/आर-572/2019/

दिनांक

—: आदेश :—

निदेशालय के आदेश क्रमांक नर्सिंग/नर्स-2(सीधी भर्ती-2013)/2016/230 दिनांक 09.08.16 के द्वारा निम्न का नर्स द्वितीय के पद पर चयन कर दो वर्ष के परिवीक्षाकाल पर नियुक्तिया प्रदान की गई थी। इन अभ्यर्थियों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित करते हुये इन्हे परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गई तिथी से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में नर्स द्वितीय के पद की पै मेट्रिक्स लेवल एल-11 में न्यूनतम वेतन 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	कार्यग्रहण तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात् परिवीक्षापूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	जसवन्त सिंह राठौड़	राजसमन्द	01.01.83	10.08.16	09.08.18	10.08.18
2	सुरेश चन्द्र सालवी	राजसमन्द	15.09.87	11.08.16	10.08.18	11.08.18

7

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/स्थाईकरण/राजसमन्द/आर-572/2019/308 दिनांक 11-03-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 सयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर।
- 2 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द।
- 3 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द।
- 4 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आमेट (राजसमन्द)।
- 5 चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आमेट (राजसमन्द)।
- 6 संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 7 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
- 8 आदेश पत्रावली।

7

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।